UPBS010007992020

न्यायालय द्वितीय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 2 बस्ती

पीठासीन अधिकारी : राम करन यादव (H.J.S.)

J.O. Code No. UP6394

प्रकीर्ण सिविल अपील सं०–08/2020

श्रीमती कुमुद पाल आदि बनाम मधुरेश कुमार पाल आदि

निस्तारण प्रार्थनापत्र कागज संख्या 138 क 2 व 140 ग 2

दिनाँक 19–03–2026

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई । प्रार्थनापत्र कागज संख्या 138 क 2 बाबत प्रतिस्थापन विधिक प्रतिनिधि प्रत्यर्थी संख्या–2 अवधेश कुमार पाल अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता व 140 ग 2 अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभयक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना जा चुका है ।

आवेदक/अपीलार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 138 क 2 यह कथन करते हुये प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यार्थी सं०–2 अवधेश कुमार पाल की मृत्यु दिनाँक 29.02.2020 को हो गयी हे। मृतक के विधिक उत्तराधिकारी मृतक के पुत्र अजीत कुमार पाल,पुत्री शैल पाल है अन्य कोई वारिस मृतक मजकूर नहीं है जिन्हें मृतक के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाना तथा उक्त संशोधन अपील में किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना किया गया है कि अपील में निम्नलिखित संशोधन करने की अनुमति दिया जाए।

प्रस्तावित संशोधन

1– यह कि Title of Appeal में प्रत्यर्थी सं० 1 अवधेश कुमार पाल के नाम के सामने शब्द '' मृतक '' दर्ज किया जावे तथा उसके स्थान पर 2/1 ता 2/3 निम्न तौर पर प्रतिस्थापित किया जावे।

2/1– अजीत कुमार पाल उम्र करीब 40 वर्ष पुत्र अवधेश कुमार पाल ।

2/2– शैल पाल उम्र करीब 35 वर्ष पुत्री अवधेध कुमार पाल ।

मो० महरीखावाँ ,तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब ,तहसील व जिला बस्ती ।

2–यह मूजवात अपील की धारा 9 के बाद ''9 अ'' यह कि प्रत्यर्थी सं० 2 अवधेश कुमार पाल की मृत्यु दिनाँक 29..02.2020 को हो गयी है। जिनके विधिक उत्तराधिकारी प्रत्यर्थी सं०–2/1 ता 2/2 है जिन्हें पक्षकार बनाया गया है'' दर्ज किया जावे ।

साथ ही अपीलार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र 140 ग 2 अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी सं०–2 अवधेश कुमार पाल की मृत्यु दिनाँक 29.02.2020 को हो गयी उसी दरम्यान मार्च संन् 2020 में कोरोना महामारी के कारण् लाकडाउन की प्रक्रिया आरम्भ हो गयी कहीं आना जान घर से निकलना असम्भव हो गया । महामारी के मरीज मिलने के कारण जगह–जगह कन्टेनमेंट जोन बन गये। न्यायालय का कार्य प्रभावित हुआ। परिणाम स्वरुप अपीलार्थी अंदर मियाद प्रतिस्थापना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाये। न्यायालय में कार्य प्रारम्भ होने एवं न्यायालय खुलने की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जानबूझकर लापरवाही नहीं की गयी है। अतःधारा 5 कानून मियाद का लाभ देकर प्रार्थना पत्र अंदर मियाद मानकर निस्तारण किये जाने की याचना की गयी है।

प्रत्यर्थीगण की ओर से मौखिक रूप से हर्जे पर प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की आपत्ति की गयी है।

इस मामले में प्रत्यर्थी सं०–2 अवधेश कुमार पाल का देहान्त दिनांक 29–02–2020 को हुआ है । विधिक प्रतिनिधिगण के प्रतिस्थापन का यह प्रार्थनापत्र दिनाँक 08–09–

Digitally signed by RAM KARAN YADAV
Date: 2026.03.19 17:31:07 CET
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2020 को दिया गया है। प्रार्थनापत्र विहित परिसीमा काल के अन्दर नहीं दिया गया है बल्कि विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र 138 क 2 प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को माफ करने हेतु प्रार्थनापत्र 140 ग अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थनापत्र में विलम्ब का स्पष्टीकरण देते हुये यह कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं० –2 अवधेश कुमार पाल की मृत्यु दिनाँक 29.02.2020 को हो गयी उसी दरम्यान मार्च सन् 2020 में कोरोना महामारी के कारण् लाकडाउन की प्रक्रिया आरम्भ हो गयी कहीं आना जान घर से निकलना असम्भव हो गया । महामारी के मरीज मिलने के कारण जगह–जगह कन्टेनमेंट जोन बन गये। न्यायालय का कार्य प्रभावित हुआ। परिणाम स्वरुप अपीलार्थी अंदर मियाद प्रतिस्थापना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाये। न्यायालय में कार्य प्रारम्भ होने एवं न्यायालय खुलने की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जानबूझकर लापरवाही नहीं की गयी है। उक्त कथन शपथपत्र से समर्थित है। अपीलार्थी द्वारा विलम्ब के सम्बंध में दिया गया स्पष्टीकरण न्यायालय की राय में प्रयाप्त है।अपील की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए मृत प्रत्यर्थी सं०–2 अवधेश कुमार पाल के विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर लाने और उसके नाम के आगे मृतक लिखने और मृत्यु के संबंध में पारिणामिक संशोधन करने की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत है । जहाँ तक प्रत्यर्थीगण को हुयी असुविधा व विलम्ब का प्रश्न है तो उसकी पूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः प्रार्थनापत्र हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 140 ग 2 मु०–500/रू० हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थनापत्र 138 क 2 प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को माफ किया जाता है। मृतक प्रत्यर्थी सं०–2 अवधेश कुमार पाल के बावत अपील का उपशमन अपास्त किया जाता है। प्रार्थनापत्र 138 क 2 बाबत प्रतिस्थापन विधिक प्रतिनिधिगण मृतक प्रत्यर्थी सं०–2 अवधेश कुमार पाल स्वीकार किया जाता है । संशोधन तीन दिन में हो। बाद संशोधन पत्रावली दिनाँक 07–04–2026 को वास्ते सुनवाई पेश हो ।

दिनाँक 19 .03.2026

(राम करन यादव)
J.O. Code–U.P.6394
द्वितीय अपर जनपद न्यायाधीश
जनपद बस्ती।